



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक

/नि०(परिचालन)/उपाकालि/८-१२

दिनांक २५/०१/२०२१

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत भारों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक महोदय, उपाकालि से प्राप्त अनुमति (पत्र सं० ३१५/एम०डी०/ए-१ दिनांक १९.०१.२०२१) उपरान्त एतद्वारा कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० ६४९/निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/सी-१२ दिनांक २०.०५.२००९ को अतिक्रमित करते हुए विद्युत भारों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०	विद्युत भार	स्वीकृति हेतु अधिकृत अधिकारी
१.	१००० के०वी०ए० तक	- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता(वितरण)
२.	१००० के०वी०ए० से अधिक २००० के०वी०ए० तक	- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता(वितरण)
३.	२००० के०वी०ए० से अधिक	- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता(वितरण)

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा विद्युत भारों को स्वीकृत करते समय वर्तमान लागू रेगुलेशन एवं कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अन्य नियम व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक(परिचालन)

पत्रांक ३३२/नि०(परिचालन)/उपाकालि/

तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

१. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
२. निदेशक(परियोजना/वित्त/मानव संसाधन), उपाकालि।
३. मुख्य अभियन्ता(वाणिज्य), उपाकालि।
४. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, गढ़वाल/कुमायूं/हरिद्वार/रूद्रपुर क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी/हरिद्वार/रूद्रपुर।
५. महाप्रबन्धक(विधि) एवं कम्पनी सचिव, उपाकालि।
६. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल,
७. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल,

(अतुल कुमार अग्रवाल)
निदेशक(परिचालन)

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

OFFICE OF THE SUBDIVISIONAL OFFICER
ELECTRICITY .DISTN.SUB DIVN-II
MOHANPURUTTARAKHAND POWER
CORPN.LTDPREMAGARD.DUN-248001
PH. 0135- 2773444



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-2 मोहनपुर
प्रेमनगर, देहरादून-248001
फोन नं०- 0135-2773444

पत्रांक 257 / वि०वि०उ०मो०/ई-1

दिनांक: 23/6/2021

विषय : तकनीकी सम्भाव्यता आख्या प्रेषित करने के संबंध में।

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड(मोहनपुर),
देहरादून।

महोदय,

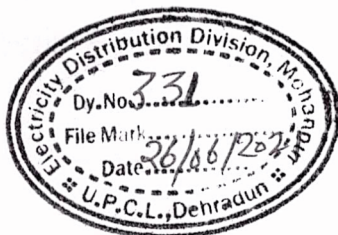
Registration Number- 531120521005 मैसर्स ग्राफिक ऐरा ऐजुकेशन सोसाईटी धूलकोट के नवीन संयोजन हेतु निरीक्षण के उपरान्त तकनीकी सम्भाव्यता आख्या आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कि जा रही है।

अतः महोदय को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

S. Arora
As per process.
[Signature]

[Signature]
(प्रवेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

28/6/21





उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: eddmohanpur@gmail.com, Website: www.upcl.org

पत्रांक : /वि०वि०ख०(मोहनपुर) देहरादून / विद्युत भार सम्बन्धी / दिनांक 22/06/2021

कार्यालय ज्ञापन

निम्नलिखित इकाई/उपभोक्ता के पक्ष में अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कॉरपोरेशन ज्ञापन संख्या 332-निदेशक(परिचालन)/उपाकालि/सी-12 दिनांक 25.01.2021 के परिपालन में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (सेलाकुई), देहरादून के संस्तुति पत्र संख्या 251/वि०वि०ख०मो०/ई-1/दिनांक 23.06.2021 के आधार पर नये संयोजन हेतु विद्युत भार निम्न टैरिफ सूची के अधीन स्वीकृत किये जाते हैं।

Name & Address of the Applicant	Load Sanctioned	Process	Load Required For	Work Site
1	2	3	4	5
M/s Graphic Era Educational Society, Dhoolkot, Chakrata Road, Dehradun.	350 KVA	RTS-2	Hospital	Dhoolkot, Chakrata Road, Dehradun.

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न/प्रतिबन्ध के अधीन है:-

1. प्रभावित 400/220/132 केवी उपस्थानों पर स्थापित परिवर्तकों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
2. विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने के कारण इस बात की पूरी संभावना है कि इकाई की विद्युत आपूर्ति में ब्रेक डाउन, लोड शैडिंग तथा यदा-कदा लो-वोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
3. इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उक्त वर्णित विद्युत भार उपभोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्त दिये जाने की तिथि से छः माह के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में, जो भी तिथि पहले हो, स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका हो, तो उस दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. उक्त संयोजन की विद्युत आपूर्ति नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपातकालिन रोस्टिंग की जा सकती है।
6. विद्युत आपूर्ति रेट शिड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
7. स्वतंत्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यदि उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई संयोजन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पुराने संयोजन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया धनराशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान न कर दिया जाये।
9. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और कारपोरेशन के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोई केस लम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
10. यदि उल्लिखित इकाई पर अथवा इकाई के समूह की किसी इकाई और कॉरपोरेशन के मध्य कोई विवाद लम्बित होने की स्थिति में इकाई को भार निर्गत न किया जाये।



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: eddmohanpur@gmail.com, Website: www.upcl.org

पत्रांक : /वि०वि०ख०(मोहनपुर) देहरादून / विद्युत भार सम्बन्धी / दिनांक

11. भार अवमुक्त से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उपभोक्ता ने प्रकमण शुल्क जमा कर दिया है।
12. कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात ही उपभोक्ता को विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।

(सुधीर कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक : 461 / वि०वि०ख०(मोहनपुर) देहरादून / विद्युत भार सम्बन्धी / तददिनांक:- 23/06/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को मिनट्स की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल (ग्रा०), उपाकालि, 18 ई०सी० रोड, देहरादून।
2. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड सेलाकुई / मोहनपुर, देहरादून।
3. उपभोक्ता को उनके उपर्युक्त पते पर।

(सुधीर कुमार सिंह)
अधिशाली अभियन्ता